प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 19.07.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 185 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 185 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 647/2025 धारा 80(2)/85 भा0न्या0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 शीतला प्रसाद तिवारी निवासी डडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को मेंहदावल बाईपास चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मार पीट कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 16.07.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 19.07.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः-* उ0नि0 श्री प्रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी, का0 श्यामनरायण यादव** ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बखिरा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 71/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 जमा पुत्र मो0 मोबिन निवासी लेड़ुआ महुआ अमरडोभा वार्ड नं0 17 न0पं0 बाघनगर उर्फ बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये अमरडोभा प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मो0 जमा पुत्र मो0 मोबिन निवासी लेड़ुआ महुआ अमरडोभा वार्ड नं0 17 न0पं0 बाघनगर उर्फ बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर गोतस्करी व गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। गोवध/पशुक्रूरता के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्त को आज दिनांक 19.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

***अभियुक्त मो0 जमा पुत्र मो0 मोबिन* -**

01-मु0अ0सं0 02/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।
02- मु0अ0सं0 05/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।
03-मु0अ0सं0 58/5022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
04- मु0अ0सं0 1268/2010 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
05- मु0अ0सं0 446/2004 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।
06- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 लवकेश यादव, का0 अनुप यादव।

“ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष के सदाचरण, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.07.2025 को ***माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0/ एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष के सदाचरण, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू से दण्डित किया गया

मु0अ0सं0 618A/2008 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्तगण नाम पता 01- फूलचन्द पुत्र अलगू, 02- फूलादेवी उर्फ फूलमती उर्फ पाना देवी पत्नी फूलचन्द निवासीगण मुण्डेरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा धारा 323/504/506 भा0द0वि0 के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उन्हें 01-01 वर्ष के सदाचरण, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा 02 बालकों को 06 घण्टे के अन्दर किया गया बरामद, परिजनों में खुशी की लहर

आज दिनांक 19.07.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बालकों का नाम पता शीतल उम्र करीब 08 वर्ष व समर उम्र करीब 06 वर्ष पुत्रगण संदीप निवासी उमरी खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद को थाना कोतवाली खलीलाबद क्षेत्रान्तर्गत नवीन मण्डी चौकी के पास से सकुशल बरामद करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

घटना का विवरण - दिनांक 19.07.2025 को समय करीब 12:00 बजे दिन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर श्रीमती साधना पत्नी संदीप निवासी उमरी खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया कि आज दिन में करीब 12:00 बजे उनके बच्चे शीतल 08 उम्र करीब वर्ष व समर 06 उम्र करीब वर्ष घर से कहीं चले गए हैं। काफी तलाश की पता नहीं चल रहा है। उक्त प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बालको को सकुशल बरामद किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय।
02- वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे।
03- चौकी प्रभारी नवीन मण्डी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव।
04- का0 विशाल सिंह।